न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 35/2019

1. सोनी देवी पत्नी हरिनारायण
2. लल्ली पत्नी हनुमान प्रसाद
3. कान्ता देवी पत्नी रामप्रताप
   समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम रामला का बास पोस्ट कालवाड तहसील व जिला जयपुर।

– – – प्रार्थीगण

बनाम

1. राज. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर
2. छीतर पुत्र सुण्डा मीणा
3. कैलाश पुत्र सुण्डा मीणा
4. प्रहलाद पुत्र सुण्डा मीणा
   निवासी ग्राम बरना तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. अनिता कांवट पत्नी राजेश कांवट जाति मीणा निवासी बरसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :–21.10.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम बरसिंहपुरा, पटवार हल्का जयसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर में खसरा नम्बर 228 रकबा 3.49 है0, खसरा नम्बर 264/281 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.78 है0 भूमि स्थित है। जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण हैं, तथा अप्रार्थी सं0 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार है। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि की सीमाज्ञन हेतु तहसीलदार के समक्ष हो चुका हैं। अब माननीय न्यायालय के समक्ष

सीमाज्ञान अनुसार प्रार्थीगण पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। श्रीमान् के आदेश अनुसार प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बरान् का सीमाज्ञान दिनांक 12.11.2018 को उप तहसीलदार मुण्डोता तहसील आमेर के आदेश क्रमांक 2793 दिनांक 01.11.2018 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में किया जा चुका है। उक्त कृषि भूमि के सीमाकंन अनुसार प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सके। प्रार्थीगण के पडोसी खातेदारों द्वारा आये दिन मौके पर सीमा बाबत् झगड़ा फसाद किया जा रहा है, एवं प्रार्थीगण को जबरन हैरान परेशान किया जा रहा है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि का पत्थरगढी करवाना चाहती है। जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सकें।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 228 रकबा 3.49 है0, खसरा नम्बर 264/281 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.78 है0 वाके ग्राम बरसिंहपुरा, पटवार हल्का जयसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर की पत्थरगढी का पूर्व में हुये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद से करवाने की कृपा करें, जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सकें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण की तलवी की गई। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 बावजूद नोटिस तामिल के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 28.08.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार आमेर ने प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट उनके पत्रांक भू.अ./2019/3120 दिनांक 26.06.19 के द्वारा भिजवाई गई जो दिनांक 26.06.2019 को शामिल पत्रावली की गयी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी ख0नं0 228 व 264/281 ग्राम बरसिंहपुरा की काश्त कर रहा है। ख0नं0 228 व 264/281 वादी सोनी देवी पत्नी हरिनारायण हि0 1/3 कान्ता देवी पत्नी रामप्रताप बलाई हि. 1/3 तथा लल्ली देवी पत्नी हनुमान प्रसाद बलाई हि0 1/3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की उक्त भूमि में पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त ख0नं0 के उत्तर दिशा में ख0नं0 226/1 चारागाह भूमि, पूर्व दिशा में ख0नं0 227 व 226/480 किता 2 रकबा 2.55 है0, छीतर, कैलाश, प्रहलाद वगै. पिता सूण्डा मीणा के नाम तथा दक्षिण दिशा में ख0नं0 262/280 व 263 अनिता कंवर पत्नी राजेश कांवट जाति मीणा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पश्चिम दिशा में ख0नं0 228/289 सिवाय चक बारानी है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 12.11.2018 को उप तहसीलदार उप तहसील मूण्डोता तहसील आमेर द्वारा किया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 228 रकबा 3.49 है0, खसरा नम्बर 264/281 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.78 है0 वाके ग्राम बरसिंहपुरा, पटवार हल्का जयसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये उभयपक्षों की उपस्थिति में सम्पादित करावें तथा यदि कोई कब्जेकाश्त का विवाद हो तो पत्थरगढी के दौरान भूमि की बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें।

निर्णय आज दिनांक **21.10.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2019.12.23 17:16:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: